न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित–.....शैलोज चन्द्रा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 117 सन् 2022

CNRNo.UPSNo.1-002446-2022

1. सतीश दूबे उम्र 54 वर्ष पुत्र स्व 0 अछैवर दूबे, निवासी ग्राम गुलौरा (नई बाजार), थाना व जनपद भदोही, भागीदार कृष्णा आटो सेल्स रजपुरा बाईपास रोड भदोही, थाना व जनपद भदोही।

2. मेसर्स कृष्णा आटो सेल्स, रजपुरा बाईपास रोड भदोही, बजरिए भागीदार सतीश दुबे पुत्र स्व 0 अछैवर दूबे, निवासी ग्राम गुलौरा (नई बाजार), थाना व जनपद भदोही ।

.....निगरानीकर्तागण (अभियुक्तगण)।

बनाम

1. दयाशंकर दूबे उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व 0 राजनरायन दूबे, निवासी ग्राम रैमलपुर (नई बाजार), थाना व जनपद भदोही।

2. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता सतीश दूबे आदि की ओर से धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य आदि के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर द्वारा फौजदारी परिवाद संख्या–4499 सन् 2022 दयाशंकर दूबे बनाम सतीश दूबे व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 04.08.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।

2. अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त सतीश दूबे को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत आहूत कर लिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. आधार निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि–विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही का प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.08.2022 अनुचित, अनियमित, अवैध एवं विधि के विरुद्ध है जिससे निगरानीकर्ता के साथ महान अन्याय हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश में मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग दिनांकित 19.06.2021 को बिना अवलोकन किये तथा मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग उक्त जिसके अनुसार विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 व अन्य चेक परिवादी विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी किया गया है, को विपक्षी संख्या 1 परिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष न प्रस्तुत किया और न विचारण न्यायालय ने विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 जो मैमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग दिनांकित 19.06.2021 ई0 के आधार पर जारी किया है, मात्र कल्पनाओं के आधार पर विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 ई० के भुगतान को परिवादी चेक उक्त की रकम पाने का अधिकारी करार दिया। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश मात्र कल्पनाओं एवं सम्भावनाओं पर

आधारित है और खण्डित किये जाने योग्य है।

4. निगरानी में आगे यह आधार लिया गया है कि निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पोस्टडेटेड चेक दिनांकित 25.10.2021 24.12.2021 व 05.03.2022 ई० को बरवक्त बंटवारा मेसर्स कृष्णा आटो सेल्स जिसका निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या 1 भागीदार रहा। विपक्षी संख्या 1 परिवादी के फर्म मेसर्स कृष्णा आटो सेल्स से स्वेच्छया रिटायर होने के समय फर्म कृष्णा आटो सेल्स के लेन–देन का हिसाब दिनांक 19.06.2021 ई० तक फाईनल होने पर परिवादी विपक्षी संख्या 1 को सम्भावित राशि जो परिवादी के हिस्से का आयेगा बिना बैलेन्स शीट फाइनल हुए ट्रस्ट के रूप में निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 परिवादी के पक्ष में जारी किया और फर्म कृष्णा आटो सेल्स की बैलेन्स शीट फाईनल होने पर निगरानीकर्ता ने परिवादी को दिनांक 25.03.2022 ई० के पूर्व बैलेन्स शीट फाइनल होने व परिवादी को कृष्णा आटो सेल्स के एकाउन्ट को सेटेल्ड करने तथा परिवादी द्वारा कृष्णा आटो सेल्स के एकाउन्ट के सेटेलमेन्ट के पश्चात् ही विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 ई० भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की लिखित सूचना दिनांक 13.03.2022 ई० को दे दिया था और सूचना उक्त में निगरानीकर्ता ने यह भी अंकित किया है कि परिवादी का फर्म कृष्णा आटो सेल्स में दिनांक 19.06.2021 ई० तक के बैलेन्स शीट के मुताबिक विवादित चेक की राशि परिवादी का फर्म उक्त के जिम्मे नहीं निकलता, परन्तु विपक्षी संख्या–1 परिवादी फर्म उक्त बैलेन्स शीट को बिना फाईनल किये फर्म कृष्णा आटो सेल्स के एकाउन्ट का सेटेल किये बदनियती से विवादित चेक को भुगतान हेतु प्राप्त किया।

5. निगरानी में आगे यह आधार लिया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 को भेजे गये सूचना उक्त प्राप्त हुई और विपक्षी संख्या 1 ने बावजूद सूचना बदनियती से विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 ई० को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। परिवादी विपक्षी ने फर्म उक्त के बंटवारा के पूर्व 2 करोड़ रूपया फर्म के खाते से चोरी से निकाल लिया, जो फर्म के बंटवारे का कारण हुआ। हरगिज निगरानीकर्तागण के जिम्मे विपक्षी संख्या 1 परिवादी को मु० 20 लाख रूपया विवादित चेक की राशि को अदा करने का उत्तरदायी नहीं है और न ही विपक्षी संख्या 1 मुताबिक बैलेन्स शीट कृष्णा आटो सेल्स जो दिनांक 19.06.2021 ई० तक की फाईनल की गयी है, के अनुसार हम निगरानीकर्ता से चेक उक्त की राशि को पाने का विधानतः अधिकारी ही है ऐसी दशा में ट्रस्ट के रूप में दिये गये चेक के निस्वत धारा 138 निगोशिएबल इन्स्टुमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता। फलतः विद्वान विचारण न्यायालय का इसके विपरीत निष्कर्ष काल्पनिक एवं मनगढन्त है। विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या–1 परिवादी से मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग दिनांकित 19.06.2021 ई० को बिना आहूत किये अथवा मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग उक्त जो विवादित चेक के जारी करने का मूल आधार है, का परिशीलन किये निगरानीकर्ता को धारा–138 निगोसिएबुल इन्स्टुमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत समन करके अपने में निहित अधिकारों का अनुरूप से प्रयोग किया है।

6. निगरानी में आगे यह आधार लिया गया है कि परिवादी विपक्षी के पक्ष में जारी किये गये तीनों किता चेक फर्म कृष्णा आटो सेल्स के बैलेन्स शीट के फाइनल होने पर देय होगा और चेक उपरोक्त तीनों चेक एस्टीमेटेड बेसिस पर परिवादी के पक्ष में ट्रस्ट

के रूप जारी किया जा रहा है। Post Dated cheque no- 112127 Rs- 20 Lac dated 25-10-2021] Cheque No- 112128 Rs- 20 Lac dated 24-12-2021] Cheque No- 183748 Rs- 20 Lac dated 25-03-2022 are issued in settlement of Rs- 60 Lac- These figures on estimate basis and it can change/reduce/increased as per actual finalisation of balance sheet of concerned periods के, विपक्षी संख्या 1 परिवादी तथ्य उक्त को जानते हुए तथा कृष्णा आटो सेल्स की बैलेन्स शीट फाईनल होने पर परिवादी का फर्म कृष्णा आटो सेल्स में मु0 20 लाख रूपया न निकलने पर तथा परिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2022 ई० के पूर्व फर्म कृष्णा आटो सेल्स के बैलेन्स शीट को फाईनलाईज न करके तथा फर्म उक्त के एकाउन्ट को सेटल्ड न करके बदनियतीवस यह जानते हुए कि परिवादी का फर्म कृष्णा आटो सेल्स में मु0 20 लाख रुपया निगरानीकर्ता के जिम्मे देय नही है और न निगरानीकर्ता परिवादी को मु0 20 लाख रूपया अदा करने का उत्तरदायी ही है अपितु इसके परिवादी विधानतः निगरानीकर्ता से मु० 20 लाख रूपया कृष्णा आटो सेल्स के हिसाब के जिम्मे मुताबिक मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग दिनांकित 19.06.2021 ई० चेक दिनांकित 25.03.2022 ई० की राशि को पाने का अधिकारी ही है। बदनियतीबस निगरानीकर्ता पर नाजायज दबाव डालने की बदमंशा से विवादित चेक नं0 183748 तादादी मु० 20 लाख रूपया दिनांक 20.03.2022 ई० भुगतान हेतु प्रस्तुत कराया। निगरानीकर्ता मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टॅण्डिंग दिनांकित 19.06.2021 ई० व पत्र दिनांकित 17.03.2021 ई 0 जो दिनांक 25.03.2022 ई० को निगरानीकर्ता ने कृष्णा आटो सेल्स के बैलेन्स शीट को फाईनल करने तथा चेक दिनांकित 25.03.2022 ई० को भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने तथा पत्र दिनांकित 17.03.22 ई० निगरानीकर्ता के प्राप्ति व उसका जवाब परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 13.03.2022 ई० तथा विपक्षी परिवादी के जवाब दिनांक 21.03.2022 ई० को निगरानी के साथ संलग्न शपथपत्र के साथ निगरानीकर्ता दाखिल कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 138 निगोशिएबुल इन्स्टुमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि के दृष्टि में कोई आदेश नहीं है और खण्डित किये जाने योग्य है।

7. अतः उपरोक्त परिस्थितियों व आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनांकित 04.08.2022 निरस्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही निगरानीकर्ता के विरूद्ध निरस्त किया जाय।

8. निगरानीकर्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 8 ख के माध्यम से 9 ख नकल आदेश दिनांक 04.08.2022 दाखिल की गयी है।

9. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया।

10. इस स्तर पर निगरानी न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.08.2022 शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है तथा की गयी कार्यवाही नियमित है।

11. निगरानीकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि मेमोरैण्डम आफ

अन्डरस्टैंडिंग जो इस मामले का आधार है उसी के अनुपालन में प्रश्नगत विवादित चेक दिनांकित 25.03.2022 व अन्य चेक विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये थे। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग को दाखिल नहीं किया गया। मात्र संभावना के आधार पर यह करार दिया कि परिवादी उक्त चेक की रकम प्राप्त करने का अधिकारी है विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी पोस्ट डेटेड चेक को बटवारे के समय मेसर्स कृष्णा आटो सेल्स जिसमें निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या 1 भागीदार रहा के तहत दिया गया था। उक्त फर्म के लेनदेन का हिसाब दिनांक 19.06.2021 तक फाईनल होने तक परिवादी, विपक्षी संख्या १ को संभावित राशि जो परिवादी के हिस्से में आयेगी बिना बैलेंस शीट फाईनल हुए जारी किया। दिनांक 25.03.2022 के पश्चात भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की सूचना पूर्व में ही दी गयी थी और यह सूचना 13.03.2022 को दी गयी थी जिसके तहत कृष्णा आटो सेल्स में दिनांक 19.06.2021 तक के बैलेंस शीट के मुताबिक विवादित चेक की राशि परिवादी के फर्म के जिम्मे नहीं निकलती बिना सेटल किये बदनियती से भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक में लगाया गया। परिवादी विपक्षी ने फर्म के बटवारे के पूर्व दो करोड़ रूपया फर्म के खाते से चोरी से निकाल लिया जो फर्म के बटवारे का कारण बना। निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश में चेक जारी करने की देयता/आधार दाखिल न होने के कारण त्रुटिवश तलब करना कहा जब देयता ही नहीं है तो चेक की धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न परिवादी को नहीं करना चाहिये। उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार करने तथा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

12. आगे तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अवर न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है और उसमें कोई अनियमितता नहीं है।

विधि व्यवस्था राजेन्द्र प्रताप सिंह बनाम राज्य (2015) (89) ACC Page 886 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर चेक देने वाले ने पेमेंट को रोका हो परिवादी ने अपने परिवाद में यह कहीं न लिखा हो कि खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण चेक क्लीयर नहीं हुआ और इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई इन्क्वायरी न की गयी हो वहां मजिस्ट्रेट द्वारा तलब करने का आदेश धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत उपयुक्त नहीं माना गया और तलब करने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपास्त कर दिया गया।

विधि व्यवस्था Dashrathbhai Trikambhai Patel vs. Hitesh Mahendrabhai Patel and another AIR 2022 S.C. 4961, Drawer of a cheque is deemed to have committed the offence of cheque dishonour, if the following ingredients are fulfilled:

(i) A cheque is drawan for the payment of any amount of money to another person;

(ii) The cheque is drawn for the discharge of the 'whole or part' of any debt or other liability. 'Debt or other liability' means legally enforceable debt or other liability; and

(iii) The cheque is returned by the bank unpaid because of insufficient funds.

If the loan has been discharged before the due date or if there is an 'altered situation', then the cheque shall not be presented for encashment.

Sum represented on cheque could not be taken as 'legally enforceable debt' on date of maturity–Once there is material change in circumstance such that sum in cheque does not represent legally enforceable debt at time of encashment, no offence is made out– Accused cannot be deemed to have committed offence of cheque dishonour, when cheque was dishonoured for insufficient funds.

13. विपक्षी की ओर से मुख्य तर्क दिये गये कि प्रथम दृष्टया 138 एन.आई. एक्ट के तहत तलब करने के लिये sufficient ground to proceed देखी जाती है। निगरानीकर्ता ने तीन चेक स्वयं जारी करना स्वीकार किया। अब वह नहीं कह सकता कि उसने बिना लाईबिलिटी के चेक जारी किये है। तीन में से दो चेकों की धनराशि 40,000 रूपया विपक्षी को प्राप्त हो गये है जो मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग थी वह मुकम्मल हिसाब–किताब करके जारी हुई थी। अब निगरानीकर्ता उससे मुकर नहीं सकता। चेक बाउंस की प्रक्रिया संक्षिप्त विचारण के मामले हैं और मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग दाखिल न करने के आधार पर निगरानीकर्ता को कोई लाभ निगरानी में नहीं मिल सकता है। निगरानी सरसरी तौर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

14. विपक्षी की ओर से प्रस्तुत **विधि व्यवस्था S. Satyanarayan Rao versus Indian Renewable Energy Development Agency Limited 2016(97)ACC Page 487** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत पारित किया है कि Post dated cheque given for repayment of loan instalment– Described as security in the loan agreement–Dishonoured by the bank concerned– Complaint filed by the respondent under section 138 of the Act before the Magistrate–Quashing petition filed by the appellant on ground that cheques were given by way of security–No debt or liability was due when the cheques were issued– While dealing with a quashing petition–Court has to proceed on basis of averments in the complaint– Defence of the accused cannot be considered at that stage.

प्रश्नगत मामले में तथ्य भिन्न हैं पार्टनरशिप फर्म के सदस्य के रूप में अलग होने के समय मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग तैयार की गयी थी उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि यह धनराशि जो चेक के माध्यम से दी जा रही है वह एकाउन्ट को चेक करके वास्तविक रूप से कितना बैंलेस बनता है वह धनराशि परिवर्तित/कम हो सकती है तथा बढ़ सकती है। बैलेंस शीट के अनुसार ही देनदारी होनी थी। मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। यदि मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग दाखिल हुई होती तो स्थिति स्पष्ट रहती।

15. विपक्षी की ओर से प्रस्तुत **विधि व्यवस्था राजेश जैन बनाम अजय सिंह एस.एल.पी 12802/2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एन.आई.एक्ट के तहत दो अवधारणा होती है। Section 118 and Section 139. Section 118 of the Act inter alia directs that it shall be presumed, until the contrary is proved, that every negotiable instrument was made or drawn for consideration. Section 139 of the Act stipulates that **'unless the contrary is proved,** it shall be presumed, that the holder of the cheque received the cheque, for the discharge of, whole or part of any

debt or liability'. It will be seen that the '*presumed fact*''directly relates to one of the crucial ingredients necessary to sustain a conviction under Section 138.

16. प्रश्नगत मामले में तथ्य भिन्न हैं। अवधारणा तब की जाती है जब लिखित दस्तावेज न हो। जिस आधार पर यह चेक जारी किये गये पार्टनरशिप का सदस्य होने के नाते वह मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग पक्षकारों में बाध्यकारी है। धारा 139 के तहत जब तक अन्यथा साबित नहीं होता है यह माना जाता है कि चेक सही तरीके से प्राप्त किया गया है और किसी ऋण या जिम्मेदारी के अंश या पूर्ण के संपादन में है। मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग प्रश्नगत मामले में यह परिवाद दायर करने का मुख्य आधार है जो अवर न्यायालय में यदि प्रस्तुत किया गया होता तो मजिस्ट्रेट इस संबंध में इन्कवाइरी करते, जो नहीं हुआ।

17. न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिये। समस्त सही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखते हुए अपना पक्ष रखना चाहिये तभी न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी।

18. उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अवर न्यायलय में मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग परिवादी को परिवाद के साथ दाखिल करना चाहिये था तथा समस्त तथ्यों को बताना चाहिये था। न्यायालय का यह दायित्व था कि वह इस संबंध में इन्क्वाइरी करता जो नहीं हो पायी है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अनियमितता रह गयी है। इसलिये प्रश्नगत आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

19. फौजदारी निगरानी 117/2022 सतीश दूबे आदि बनाम दयाशंकर दूबे आदि स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय , न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा परिवाद सं० 4499/2022 दयाशंकर दूबे बनाम सतीश दूबे में पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 अपास्त किया जाता है।

20. परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह अवर न्यायालय में चेक दिये जाने का आधार अर्थात मेमोरैण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग दाखिल करे, संबंधित न्यायालय इस संबंध में आवश्यक इन्क्वाइरी करने के उपरांत तथा सुनवाई करके विधि सम्मत आदेश उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर पारित करे।

21. अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय को वापस भेजी जाय।

22. इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 25.10.2023

(शैलोज चन्द्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 1, भदोही ज्ञानपुर।

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 25.10.2023

(शैलोज चन्द्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 1, भदोही ज्ञानपुर।

Digitally signed by Shailoj Chandra
Date: 2023.10.28 13:15:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court